## Section 34: Credit and debit notes

- (1) <sup>1</sup>[Where one or more tax invoices have] been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person, who has supplied such goods or services or both, may issue to the recipient <sup>2</sup>[one or more credit notes for supplies made in a financial year] containing such particulars as may be prescribed.
- (2) Any registered person who issues a credit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued but not later than <sup>3</sup>[the thirtieth day of November] following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed:

**Provided** that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the incidence of tax and interest on such supply has been passed on to any other person.

- (3) <sup>4</sup>[Where one or more tax invoices have] been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person, who has supplied such goods or services or both, shall issue to the recipient <sup>5</sup>[one or more debit notes for supplies made in a financial year] containing such particulars as may be prescribed.
- (4) Any registered person who issues a debit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such debit note in the

Substituted for the words "where a tax invoice has" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/02/2019.

<sup>2</sup> Substituted for the words "a credit note" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/02/2019.

<sup>3</sup> Substituted for "September" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

<sup>4</sup> Substituted for the words "Where a tax invoice has" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/02/2019.

<sup>5</sup> Substituted for the words "a debit note" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f 01/02/2019.

## Central Goods & Services Tax Act, 2017

return for the month during which such debit note has been issued and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed.

**Explanation**–For the purposes of this Act, the expression "debit note" shall include a supplementary invoice.

## धारा 34 : जमापत्र और नामे नोट

- (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए <sup>1</sup>[एक या अधिक बीजक जारी किए गए है] और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभावित कर, ऐसी पूर्ति के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां पूर्तिकार द्वारा पूर्ति किए गए माल को प्राप्तिकर्ता द्वारा वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, पूर्तिकार को ऐसी विशिष्टयां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला <sup>2</sup>[किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी] कर सकेगा।
- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमापत्र जारी करता है, ऐसे जमापत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा, जिसके दौरान ऐसा जमापत्र जारी किया गया है, परन्तु ऐसा उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात्वर्ती <sup>3</sup>[30 नवम्बर] से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, से पूर्व किया जाएगा तथा कर दायित्व, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा:

परन्तु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है, तो पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

- (3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए <sup>4</sup>[एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए है] और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर को ऐसी पूर्ति के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, पूर्तिकार को, ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला <sup>5</sup>[किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे नोट] जारी करेगा।
- (4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामे नोट जारी करता है ऐसे नामे नोट के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे नोट जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में, जो विहित की जाए, में समायोजित करेगा।

स्पष्टीकरण — इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नामे नोट" पद के अंतर्गत कोई अनुपूरक बीजक भी है।

<sup>1</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) "कोई कर बीजक जारी किया गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>2</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) "जमा पत्र जारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>3</sup> वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा "सितम्बर मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

<sup>4</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) 'कोई कर बीजक जारी किया गया है' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>5</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) ''नामे नोट'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।